

राजस्व प्रार्थना पत्र 98/2024
जीसीएमएसम नंबर 2024/342
ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम वनाम सरकार


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि ईसरराम एवं ईश्वर राम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम मौजा किशनपुरा के खतौनी सं. 17, मौजा कमेड़िया के खतौनी संख्या 11 तथा नोसरिया के खतौनी संख्या 6 में दर्ज खातेदार नाम ईसरराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर वास्तविक नाम ईश्वर राम पुत्र पन्नाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित माना जाता है।

— :: आदेश :: —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम मौजा किशनपुरा के खतौनी सं. 17, मौजा कमेड़िया के खतौनी संख्या 11 तथा नोसरिया के खतौनी संख्या 6 में वर्णित खसरानों में दर्ज खातेदार नाम ईसरराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर वास्तविक नाम ईश्वर राम पुत्र पन्नाराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक...19.12.24...को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल